अलर्ट

## जबलपुर समेत दमोह, सागर में आंधी तूफान का हाईअलर्ट

# पहली बार मोबाइल पर अचानक बजा तेज सायरन

### 90 किमी की रफ्तार से हवायें चलने की चेतावनी

जबलपुर। शहर तूफान आंधी की चपेट में आ गया है जिसको लेकर हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है। 90 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मंगलवार देर शाम उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया, जब नागरिकों के मोबाइल फोन एक साथ तेज सायरन और जोरदार वाइब्रेशन के साथ बज उठे। फोन चाहे साइलेंट मोड पर था या डू नॉट डिस्टर्ब पर, इस अजीबो-गरीब तीखी आवाज ने हर किसी को चौंका दिया। मोबाइल स्क्रीन पर एक पॉप-अप मैसेज फ्लैश हुआ, जिस पर लाल रंग की पट्टी में इमरजेंसी अलर्ट लिखा हुआ था।जिसमें आंधी, तूफान, बारिश की चेतावनी दी गई थी। शुरुआत में कई लोग इसे साइबर फ्रॉड या फोन हैकिंग समझकर डर गए थे हड़कंप मच गया था मैसेज में लिखा था कि तीन घंटे के भीतर जबलपुर, दमोह, सागर में कुछ थानों पर 90 मिमी प्रति घंटे की रफ्तार से बिजली की गति के साथ तेज आंधी आने की संभावना है। मैसेज के बाद मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी। साथ ही स्पष्ट किया गया कि यह सचेत एप के जरिए नागरिकों को सावधानी बरतने अलर्ट भेजा गया था । वह मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली की ओर से जारी किया गया आपातकालीन मौसम अलर्ट था। यह अलर्ट विशेष रूप से मध्यप्रदेश के कई जिलों जबलपुर, दमोह, सागर में तेज आंधी, बिजली गिरने, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए भेजा गया था । इस उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक आपदा, अत्यधिक मौसम या अन्य खतरे से पहले सतर्क करना रहा।

### 14 तक बारिश, पारा चढ़ेगा, गर्मी दिखायेगी तेवर

मौसम विभाग की माने तो आने वाले 10-14 जून को जबलपुर जिले में प्रतिदिन 9 से 10 मिमी के साथ तापमान 42 से 43 डिग्री तक बढ़ने और 50-60 प्रतिशत शाम में नमी रहने की संभावना है। इस कारण गर्मी तेवर दिखायेगी।

### तीन जिलों में हाईअलर्ट

मौसम विभाग की माने तो जबलपुर समेत सागर, दमोह, जबलपुर और शहर के भेड़ाघाट में बिजली, ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी तूफान लगभग 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। साथ ही उमरिया, बांधवगढ़, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला में बिजली के साथ मध्यम तूफान हवा की गति 70 किमी प्रति घंटे और सीहोर, डिंडोरी, सिवनी में बिजली चमकने के साथ हल्की आंधी हवा की गति 50 किमी प्रति घंटे तक होने की संभावना है। रात के समय बालाघाट, मुरैना, भिंड, पन्ना, सतना, मैहर और छतरपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है।

## हाईकोर्ट ने बरती सख्ती मिला वरिष्ठता का लाभ

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ के सख्त निर्देश के बाद एसईसीएल के कर्मचारी शेख रहमत को लंबे समय से लंबित वरिष्ठता का लाभ मिल गया। कलेसर निवासी शेख रहमत की नियुक्ति 25 अक्टूबर 1989 को बीटीएल पद पर हुई थी, लेकिन समय पर पदोन्नति और वरिष्ठता नहीं मिलने पर उन्होंने विभागीय स्तर पर कई अभ्यावेदन दिए। दरअसल, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक जोहिला क्षेत्र ने वर्ष 2021 और 2023 में एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर को पत्र लिखकर वरिष्ठता सूची में सुधार और पदोन्नति दिए जाने की अनुशंसा की थी। इसके बावजूद कार्रवाई न होने पर शेख रहमत ने हाईकोर्ट की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का 90 दिनों के भीतर निराकरण कर निर्णय से अवगत कराया जाए।

# आरडीवीवी का 36वां दीक्षांत समारोह 21 को, राष्ट्रपति आएंगी

### संस्कारधानी एवं विवि के लिए यह स्वर्णिम दिन होगा : कुलगुरु

### दीक्षांत समारोह के भव्य आयोजन की तैयारियां तेज

नवभारत,जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 36वाँ दीक्षान्त समारोह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मुख्य आतिथ्य में रविवार 21 जून को आयोजित किया जायेगा। मध्यप्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगुभाई पटेल की अध्यक्षता, मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं म.प्र. शासन के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विशिष्ट आतिथ्य में सम्पन्न होगा।

उक्त जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस संबंध में राष्ट्रपति भवन से सहमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय को एक घंटे का समय आवंटित किया है।कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा ने स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति को समूचे संस्कारधानी एवं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने बताया कि यह दिन संस्कारधानी एवं विश्वविद्यालय के लिए स्वर्णिम दिन होगा। जानकारी के अनुसार दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय के 141 छात्र-छात्राओं को 240 स्वर्ण पदक, 182 विद्यावारिधि (पी एच डी), 03 विद्यावाचस्पति (डी लिट्) एवं 01 डीएससी उपाधि एवं 1 मानद उपाधि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में भी तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के मुख्य आतिथ्य में विश्वविद्यालय का 21वाँ दीक्षान्त समारोह भव्यता के साथ आयोजित किया गया था। लगभग 20 वर्ष बाद फिर माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन निश्चय ही सुखद अनुभव होगा जो छात्र-छात्राओं के मन:पटल पर सदैव अंकित रहेगा।

### बैठक में तैयारियों पर हुआ विमर्श

कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा, कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल, मुख्य संयोजक प्रो. एस.एस. संधू, प्रो. राकेश बाजपेयी एवं प्रो. सुरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में आयोजित बैठक में दीक्षान्त समारोह की तैयारियों के लिए विभिन्न समितियों के संयोजकों से तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही दीक्षान्त समारोह में प्रेक्षागृह में मंच की बैठक व्यवस्था, दीक्षान्त शोभा यात्रा, स्वर्ण पदक एवं उपाधियों के वितरण की व्यवस्था, आमंत्रण कार्ड का वितरण, दीक्षांत समारोह के सीधे प्रसारण की व्यवस्था के साथ-साथ सम्पूर्ण आयोजन के दौरान विद्युत व्यवस्था एवं विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों की पार्किंग हेतु समुचित व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए गए।

## छिंदवाड़ा कफ सीरप मामला : हाईकोर्ट से डॉक्टर की जमानत अर्जी खारिज

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने छिंदवाड़ा के बहुचर्चित जहरीले कफ सीरप कांड में आरोपी बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एसएस ठाकुर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

आवेदक परासिया निवासी डॉ. ठाकुर ने दावा किया था कि वे 45 वर्षों से बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें कफ सीरप में मिलावट की कोई जानकारी नहीं थी और न ही निर्माता या वितरक से उनका कोई संबंध था। उनका कहना था कि बच्चों की मौत प्रतिबंधित दवा से नहीं, बल्कि सीरप में पाए गए जहरीले तत्व डायथिलीन ग्लाइकोल के कारण हुई। राज्य शासन की ओर से जमानत अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंधित दवा लिखना गंभीर लापरवाही का परिचायक है। मामले में प्रारंभिक साक्ष्य मजबूत हैं तथा आरोपी की भूमिका अत्यंत गंभीर है। ऐसे संवेदनशील प्रकरण में जमानत से जनविश्वास प्रभावित होगा। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक निर्देशों के बावजूद चार वर्ष से कम आयु के बच्चों को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवा लिखी गई।

## बिजली कर्मी को बंधक बना पीटने वाले हों गिरफ्तार

जबलपुर। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर सिटी सर्किल अंतर्गत पश्चिम संभाग के आउटसोर्स कर्मी अनमोल तिवारी को बंधक बनाकर मारपीट करने वाले उपभोक्ता प्रेम ठाकुर एवं उसके साथियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के नाम से नगर पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि घटना के 3 तीन दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, अत: उन्हें यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए।

# गौवंश सुपुदर्गी पर यथास्थिति के निर्देश

### आधा दर्जन पिकअप वाहन पकड़े जाने का मामला

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस आरके वाणी की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए गौवंश की सुपुदर्गी पर यथास्थिति के निर्देश दिए हैं। साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को निर्देशित किया कि लंबित पुनरीक्षण याचिका का गुण-दोष के आधार पर 30 दिनों के भीतर निर्णय किया जाए।

दरअसलए 10 मई 2026 की रात बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अमाटोला रोड स्थित अंबेडकर चौक पर कार्रवाई करते हुए छह पिकअप वाहन पकड़े थे। पुलिस के मुताबिक वाहनों में 48 गौवंशों को कथित रूप से क्रूरता पूर्वक भरकर महाराष्ट्र स्थित स्लाटर हाउस ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान गौवंश जब्त कर वैधानिक प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बीच न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 22 मई 2026 को गौवंशों की सुपुर्दगी का आदेश पारित कर दिया। इस आदेशों को चुनौती देते हुए गौवंश रक्षण समिति वारासिवनी के प्रशासक अभिषेक सुराना ने पुनरीक्षण याचिका दायर की। जिसका राहतकारी नतीजा न निकलने के कारण मामला हाईकोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया कि जिन रसीदों व दस्तावेजों के आधार पर सुपुर्दगी का दावा किया गया है, उनकी प्रामाणिकता संदेह के घेरे में है। उनका कहना था कि संबंधित पक्षों को गौवंशों की कस्टडी प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए सुपुर्दगी आदेश पर रोक आवश्यक है। यह सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गौवंशों की कस्टडी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर रोक लगा दी। साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को निर्देशित किया कि लंबित पुनरीक्षण याचिका का गुण-दोष के आधार पर 30 दिनों के भीतर निर्णय किया जाए।

## चाकूबाज को छह माह का सश्रम कारावास

### अदालत ने दो हजार का जुर्माना भी लगाया

जबलपुर। विजय नगर क्षेत्र में एक होटल व्यवसायी पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी शनि उर्फ मयंक को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल छत्री की अदालत ने आरोपी को छह माह के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत के समक्ष शासन की ओर से एडीपीओं अनूप जैन ने बताया कि आयुष्मान उर्फ रामू केशरवानी विजय नगर में होटल का संचालन करता है। 18 सितंबर 2014 को जब वह दमोह नाका से अपनी होटल जा रहा था, उसी समय दीनदयाल चौक के पास आरोपी शनि दुबे ने उसे रोक लिया और गालीगलौज करते हुए आयुष्मान उर्फ रामू पर चाकू से हमला कर दिया।

जिससे उसके सीने में दाहिने तरफ व पैर के घुटने में गंभीर चोट आ गई। पीड़िता भाई सुरेश केशरवानी पीछे से पहुंचा और उसने घायल को अस्पताल में भर्ती कराते हुए मामले की शिकायत विजय नगर थाने में दर्ज करायी। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

# नागौद लॉज, स्टैण्डर्ड होटल और नारायणा कोचिंग सेन्टर में जड़ा ताला

### नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई

नवभारत,जबलपुर। शहर में अग्नि सुरक्षा, भवन अनुज्ञा और लाइसेंस संबंधी नियमों की अनदेखी पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन संस्थानों को सील किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार और पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर की गई। संयुक्त दल द्वारा लार्डगंज-कछियाना स्थित नागौद लॉज, करमचंद चौक स्थित स्टैण्डर्ड होटल और राइट टाउन स्थित नारायणा कोचिंग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इन संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्थाओं, भवन उपयोग, आवागमन मार्ग, पार्किंग, वेंटिलेशन और लाइसेंस संबंधी गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं। जन-सुरक्षा की दृष्टि से इन कमियों को गंभीर मानते हुए तत्काल सील करने की कार्रवाई की गई।

### पाईं गईं कमियां

जानकारी के अनुसार नागौद लॉज, लार्डगंज-कछियाना में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भवन में आवश्यक अग्निशमन स्थापनाएँ स्थापित नहीं थीं और आवागमन के लिए केवल एक ही मार्ग उपलब्ध था। भवन विभाग की जाँच में यह तथ्य सामने आया कि भवन रहवासी प्रयोजन के लिए स्वीकृत था, जबकि उसका उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा था। मौके पर पार्किंग व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं पाई गई। बाजार एवं लाइसेंस विभाग द्वारा यह भी पाया गया कि ट्रेड लाइसेंस में स्वीकृत व्यवसाय से भिन्न व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। वहीं करमचंद चौक स्थित स्टैण्डर्ड होटल में भी अग्नि सुरक्षा से जुड़ी गंभीर कमियाँ सामने आईं। भवन में आवश्यक अग्निशमन स्थापनाएँ उपलब्ध नहीं थीं तथा आने-जाने के मार्ग अत्यधिक संकरे पाए गए। निरीक्षण के दौरान भवन की टैरेस पर किचन संचालित पाया गया, जिसे अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण माना गया। भवन विभाग द्वारा मौके पर भवन स्वामी से स्वीकृत नक्शा मांगा गया, लेकिन वह उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा

राइट टाउन स्थित नारायणा कोचिंग में विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियाँ पाई गईं। भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाएँ क्रियाशील अवस्था में नहीं थीं और सभी आवश्यक अग्निशमन स्थापनाएँ भी उपलब्ध नहीं थीं। भवन में आवागमन के लिए केवल एक ही मार्ग था, जबकि गलियारों और आवाजाही के रास्तों की चैड़ाई भी पर्याप्त नहीं पाई गई। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि गलियारों और आवागमन मार्गों में ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया गया था तथा भवन में पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।

### समीक्षा बैठक में सक्रिय रहे निगमायुक्त

निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और मानसून से पहले नागरिक सुरक्षा को पुख्ता करने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उनका मुख्य फोकस सीएम हैल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निपटारा करने, शहर के नाला-नालियों की सघन सफाई और सबसे महत्वपूर्णकृऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी मानकों को दुरुस्त कराने पर रहा।

## 15 साल से पुरानी, टैक्स डिफॉल्टर 6 बसें जब्त

जबलपुर। परिवहन विभाग ने शहर की सड़कों पर अवैध रूप से चल रही बसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है । मंगलवार को 15 साल से पुरानी और टैक्स डिफॉल्टर 6 बसें जब्त की गई है।

जानकारी के अनुसार आरटीओ रिंकू शर्मा के मार्गदर्शन में विभाग की टीम ने 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी बसों और टैक्स जमा करने वाली बसों पर कार्यवाही की है। कार्रवाई के दौरान विभाग ने कुल 6 बसों को जब्त किया है।

जिन बसों को जब्त करने की कार्रवाई हुई है उसमें बस क्रमांक एमपी 20 पीए 0373, एमपी 20 पीए 0967, एमपी 20 पीए 0242, एमपी 20 पीए 0461, एमपी 20 पीए 0580 और सीजी 04 ई 2948 शामिल है।

परिवहन विभाग की टीम ने इन सभी बसों को जब्त करके परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षित रखवा दिया है। विभाग ने बस मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने वाहनों के कागजात पूरे रखें और समय पर टैक्स जमा करें, अन्यथा आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

## नियमों का उल्लंघन करने, गंदगी फैलाने वालों से वसूले 48 हजार

### सफाई से कोई समझौता नहीं होगा : निगमायुक्त

### निगम के स्वास्थ्य विभाग और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों की टीमों की कार्रवाई

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देशों के बाद शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। सफाई से कोई समझौता नहीं के निर्देश के साथ नगर निगम के सभी संभागों में एक साथ विशेष औचक निरीक्षण और चालानी कार्रवाई का अभियान चलाया गया। इस व्यापक अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मौके पर ही चालानी कार्रवाई करते हुए 48 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

जानकारी के अनुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों की टीमों ने सभी संभागीय क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई शुरू की। मुख्य बाजारों, व्यावसायिक क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों में की गई इस कार्रवाई के दौरान खुले में कचरा फेंकने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं प्रतिबंधित सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की गई। सभी संभागों को मिलाकर कुल 48,000 रुपये की जुर्माना राशि मौके पर ही वसूली गई।

### निगमायुक्त ने पहले चेताया था...

विदित हो कि पहले ही निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देशित किया है कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग डस्टबिन का उपयोग न कर सड़कों और खुले स्थानों पर कचरा फेंकते हैं, उनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जाए।


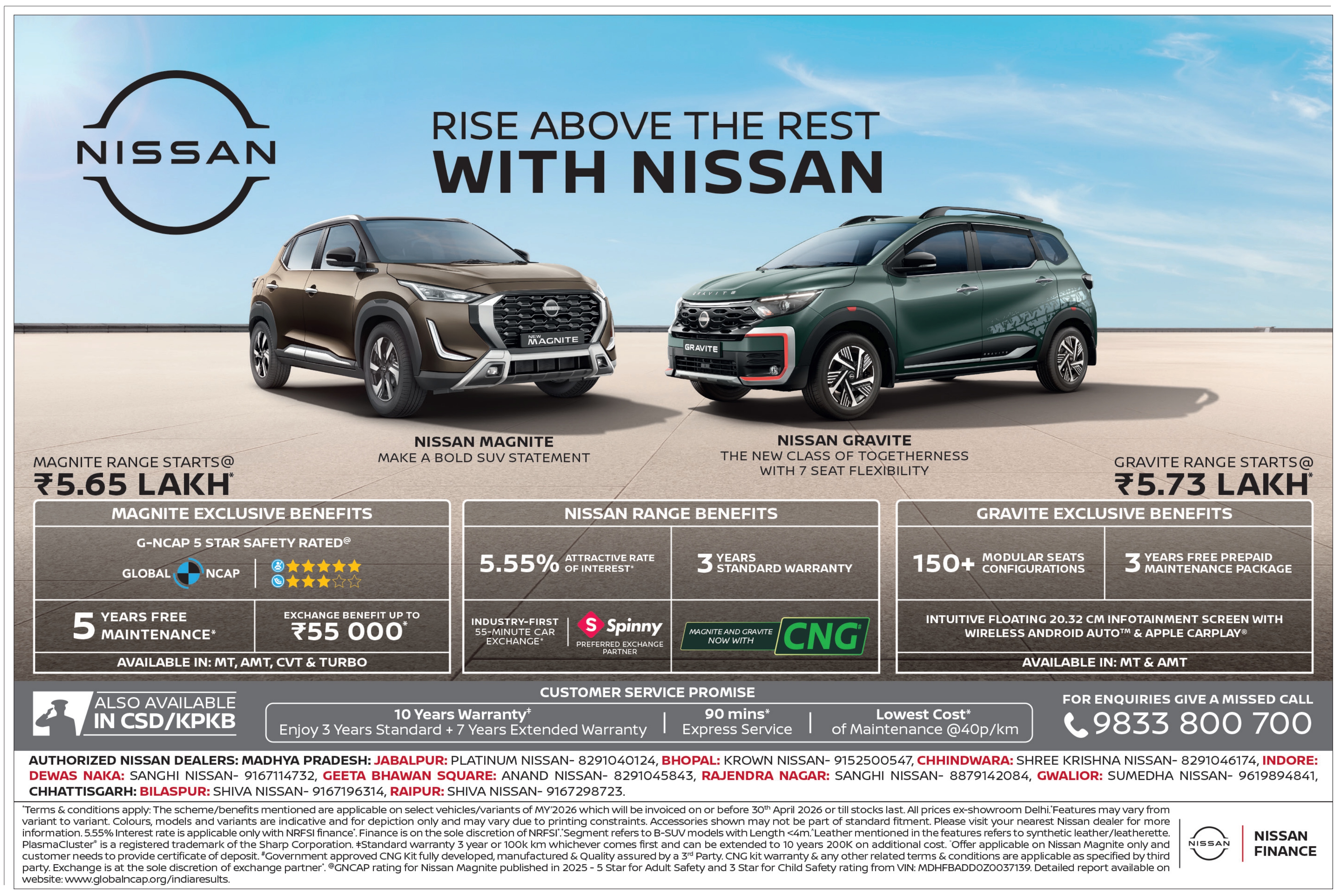



स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57